

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर/एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि० नु०शा०/अपील)/

ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक / वि० नु०शा०/अपील/उ०न्या०कार्य/सर्वो०न्या०कार्य)

डिप्टी कमिशनर /असिस्टेन्ट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी ,

वाणिज्य कर उ०प्र० ।

Key word 1-47-IMPORT / Verification Forms/ Penalty

दिनांक 01-08-08 से प्रदेश में पूर्व में संचालित 83 जांच चौकियों के स्थान पर 46 जांच चौकियों का संचालन पूर्णतया बन्द करते हुए केवल 37 जांच चौकियों को संचालित रखते हुए इन पर केवल बहती जारी / खारिज करने तथा स्वतः घोषणा के अन्तर्गत धनराशि जमा कराये जाने की व्यवस्था रखी गयी थी। पूर्व में प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने पर कार्यरत जांच चौकियों पर आयात घोषणा पत्रों को पृष्ठांकित कराये जाने की प्रक्रिया को बन्द करके आयात घोषणा पत्रों की मूल प्रतियों के साथ-साथ माल की डिलीवरी रिसीट, बिल्टी तथा बिल / चालान की स्वतः प्रमाणित छायाप्रतियां सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में मासिक / साप्ताहिक / दैनिक रूप से जमा करने के संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-ज्वा०कमि०(चे०पो०)मु०जांचचौकी//08-09//740 // वाणिज्य कर दि० 23-7-08 तथा परिपत्र संख्या-ज्वा०कमि० (चे०पो०)मु०जांचचौकी / 08-09// 0809054 // वाणिज्य कर दि० 20-8-08 एवं ज्वा०कमि०(चे०पो०)मु०जांचचौकी / 08-09// 0809064 // वाणिज्य कर दि० 19-9-08 से दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में व्यापारियों के प्राप्त प्रत्यावेदनों के क्रम में प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी वाणिज्य कर वर्किंग ग्रुप की बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह निर्देश दिये गये हैं कि बड़ी कम्पनियों के सम्बन्ध में चालान, बिल्टी आदि की प्रतियां प्राप्त करने के स्थान पर फार्म 38 का एक प्रारूप बना लिया जाये और उसी में उपर्युक्त अभिलेखों के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त की जायें।

शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में परिपत्र संख्या- 740 दि० 23-7-08 एवं परिपत्र संख्या- 0809054 दि० 20-8-08 एवं परिपत्र संख्या- 0809064 दि० 19-9-08 से में आंशिक संशोधन करते हुए प्रदेश की ऐसी बड़ी कम्पनियां जिनका वार्षिक विक्रय धन रू० 01 करोड़ से अधिक है, से फार्म 38 की मूल प्रतियों के साथ माल की डिलीवरी रिसीट, बिल्टी तथा बिल / चालान की स्वतः प्रमाणित छायाप्रतियां जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसी बड़ी कम्पनियों द्वारा प्रान्त बाहर से माल आयात करने पर उनके द्वारा मूल फार्म 38 की प्रतियों के साथ निम्नलिखित प्रारूप में संलग्नक के रूप में सूचनाएं प्राप्त कराई जायेंगी :-

क्रेता व्यापारी का नाम व पता**आयात घोषणा पत्र (फार्म-38).....से आयातित किये जा रहे माल का विवरण**

क्रम सं०	जी० र०सं०	माल के पारेष नाम व पता	बिल सं० व	माल का विवरण			
				वस्तु का नाम	माल की मात्रा /परिमा	नगो की सं०	वस्तु का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8

एतद्वारा घोषणा की जाती है कि उपरोक्त सूचनायें मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण हैं।

क्रेता व्यापारी / अधिकृत व्यक्ति के**हस्ताक्षर व प्रास्थिति****दिनांक :-**

निर्देश दिये जाते हैं कि कृपया परिपत्र संख्या- 740 दि० 23-7-08 एवं परिपत्र संख्या- 0809054 दि० 20-8-08 एवं परिपत्र संख्या- 0809064 दि० 19-9-08 से जारी निर्देशों को उपरोक्तानुसार संशोधित मानते हुए उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ऐसी बड़ी कम्पनियों द्वारा प्रान्त बाहर से माल आयात करने पर फार्म 38 की मूल प्रतियों के साथ माल की

डिलीवरी रिसीट, बिल्टी तथा बिल / चालान की स्वतः प्रमाणित छाया प्रतियां यदि जमा नहीं की जाती है तो उन्हें इसके लिए बाध्य न करते हुए उनसे मूल फार्म 38 की प्रतियों के साथ उपर्युक्त प्रारूप में संलग्नक के रूप में प्रेषित की गयी सूचना को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपर्युक्त निर्देश दिनांक ----- से प्रभावी होंगे।

(अनिल संत)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष / निबन्धन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ०प्र०
4. प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
5. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
6. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए०जी० डि० 11, सरोजनी नाथडू मार्ग, इलाहाबाद
8. विकास आयुक्त, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
9. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो०, 185 / 293, अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
10. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
11. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे, कानपुर
12. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66 शास्त्री नगर, लखनऊ।
13. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ
14. मर्चेंट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर।
15. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडो 4/180, विशाल खएड, पी०वी०-17, गोमती नगर, लखनऊ
16. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडो 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
17. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंडो, ऐशबाग, रोड, लखनऊ।
18. आल इडिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट सं०-3, मेरठ रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
19. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंडो एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
20. राज्यस्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्टकमिश्नर(कार्य०) के माध्यम से
21. उत्तर-प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
22. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर०-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
23. श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद।
24. श्री मदनमोहन भारतीय, एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर।
25. प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
26. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्टररी (FTTA) 77/3 ए एन०के० जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर।
27. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु०नगर।
28. श्री आर० डी० गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
29. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19-सुरेशबाग, कानपुर।
30. इन्डियन इंडो एसो०, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर।

31. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।
32. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा ।
33. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी, उद्योग नगर, कानपुर
34. श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
35. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर ।
36. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर ,लखनऊ ।
37. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ
38. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
39. श्री गोपाल अग्रवाल , राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ ।
40. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड, अमीनाबाद, लखनऊ ।
41. अध्यक्ष, आई0 आई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड, फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ ।
42. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
43. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।
44. समस्त अनुभाग / अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
45. चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियाँ अतिरिक्त ।

(वी0 पी0 श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।